



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940

No. 296]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सा.का.नि. 434(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूजी और डिबेंचर) नियम, 2014 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूजी और डिबेंचर) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (i) के उपखंड (क) में “कम से कम पिछले एक वर्ष के लिए” शब्दों का लोप किया जाए।

[फा.सं. 01/04/2013-सीएल. V-पार्ट-III]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए: —

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1.	सा.का.नि.413(अ)	18.06.2014
2.	सा.का.नि.210(अ)	18.03.2015
3.	सा.का.नि.439(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.841(अ)	06.11.2015
5.	सा.का.नि.290(अ)	10.03.2016
6.	सा.का.नि.358(अ)	29.03.2016
7.	सा.का.नि.704(अ)	19.07.2016
8.	सा.का.नि.791(अ)	12.08.2016
9.	सा.का.नि.363(अ)	10.04.2018

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in the principal rules, in rule 8, in sub-rule (1), in the Explanation, in clause (i) in sub-clause (a), the words “for at least last one year” shall be omitted.

[F.No. 01/04/2013-CL-V-Part-III]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notification as detailed below:-

Sl.No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016
6.	G.S.R. 358 (E)	29.03.2016
7.	G.S.R. 704 (E)	19.07.2016
8.	G.S.R. 791 (E)	12.08.2016
9.	G.S.R. 363 (E)	10.04.2018